

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह (कारा) विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
मंडल कारा, बिहारशरीफ, बेतिया, सुपौल एवं खगड़िया।

पटना, दिनांक 21-3-2016

विषय:- मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न आकस्मिक मद की निकासी हेतु ₹53,18,000 (तीरपन लाख अठारह हजार रुपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड- N-2056001010002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-22/2015-295/वि0 दिनांक 24.03.2015, ब/17/बी0एस0जी0-05/2015-396/वि0 दिनांक-24.04.2015, पत्र संख्या-एम-4-09/2014/5294 दिनांक-17.06.2015, पत्र संख्या-बी0एस0जी0-300/15-1047/वि0 दिनांक-16.12.2015 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि, अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद के पत्रांक-384 दिनांक-08.03.2016 तथा शिबिर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ का पत्रांक-412 दिनांक-11.03.2016 द्वारा राशि प्रत्यर्पित की गई है, को स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रत्यर्पित राशि में से मंडल काराओं से प्राप्त अधियाचना के आलोक में प्रत्येक मंडल कारा के सामने अंकित अतिरिक्त राशि का पुर्नआवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	कारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	राशि (शब्दों में)
1	मंडल कारा, बिहारशरीफ	21 03 आहार/पथ्य	18000000	20000000	20000000	दो करोड़ रुपये मात्र।
2	मंडल कारा, बेतिया	21 03 आहार/पथ्य	22700000	13000000	24000000	दो करोड़ चालीस लाख रुपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	15000000	4000000	19000000	उन्नीस लाख रुपये मात्र।
3	मंडल कारा, सुपौल	21 03 आहार/पथ्य	74000000	5000000	79000000	उनासी लाख रुपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	7000000	1180000	8180000	आठ लाख अठारह हजार रुपये मात्र।
4	मंडल कारा, खगड़िया	21 03 आहार/पथ्य	143000000	10000000	153000000	एक करोड़ तीरपन लाख रुपये मात्र।
		कुल योग	646000000	53180000	699180000	छः करोड़ नित्यानबे लाख अठारह हजार रुपये मात्र।

(तीरपन लाख अठारह हजार रुपये मात्र)

2. उक्त अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0002 जिला जेल (विपत्र कोड-एन0 2056001010002) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अंतर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया

जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-एन0 2056001010002 में अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

7. वर्तमान आवंटन कारा निरीक्षणालय में प्राप्त /अद्यतन संधारित बंदी संख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

8. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी नं0 के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्यक किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(मं0)-02-03/15-112

पटना, दिनांक 21-3-2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(मं0)-02-03/15-112

पटना, दिनांक 21-3-2016

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, पटना/जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(मं0)-02-03/15-112

पटना, दिनांक 21-3-2016

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(मं0)-02-03/15-112

पटना, दिनांक 21-3-2016

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।